न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 342 / 18 **निर्णय दिनांकः– 21.01.2020**
(आरसीएमएस सख्या 2018 / 00476)

1. पानमल पुत्र धनराम जाति बोथरा निवासी गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. अमीन पुत्र फजलुखॉ जाति मुसलमान निवासी नसूमां तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये पैरोकार राज।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20–07–2018
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थितः–

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
4. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 20–07–2018 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर निरस्त किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चक 6–8 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 124 / 32 के किला नम्बर 5 ता 7, 14 ता 18, 23 ता 25 में 11 बीघा कमाण्ड भूमि बतौर भूमिहीन आवंटन दिनांक 18–09–2017 को कमीपूर्ति में की गई थी। आवंटन पश्चात् दिनांक 20–07–2017 को आवंटन आदेश जारी होने के बाद दिनांक 22–12–2017 को अपीलांट द्वारा निर्धारित राशि जमा करवाते हुए तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज हो चुका

है। मौके पर आज दिनांक तक अपीलांट् का कब्जा काश्त चल आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा तमाम वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु तमाम कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त अचानक दिनांक 20—07—2018 को अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि ''प्रार्थी अमीनखॉं का नियम 21—ए आवंटन नियम 1975 जैकरार है, जिसमें आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय किया जाना है। प्रकरण के पैण्डिग रहने के दौरान उक्त भूमि अन्य को आवंटन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के तहत पानमल पुत्र धनराज जाति बोथरा को किया गया आवंटन दिनांक 18—09—2017 निरस्त किया जाता है।'' अदालत मातहत के समक्ष जब यह तथ्य प्रकट थे कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि थी तो ऐसीस्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर उसे बेजा फायदा पहुँचानें की नियत मात्र से अपीलांट के विधिवत् आवंटन को खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

उन्होनें आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 20—07—2018 को अपीलांट का आवंटन इस आधार पर खारिज किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अमीन खॉं का नियम 21 — ए आवंटन नियम 1975 का प्रार्थना पत्र जैरकार होने के कारण अपीलांट का आवंटन निरस्त किया जाता है। जबकि इस संबंध में वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांट के नियमन का प्रार्थना पत्र दिनांक 15—04—2015 को खारिज किया जा चुका है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए आदेश जैर अपील प्राप्त किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हुए भी आवंटन अधिकारी द्वारा नजरअंदाज करते हुए आदेश जैर अपील पारित करने में कूननी भूल कारित की गई है। अपीलांट का आवंटन विधि सम्मत तरीके से जारी किया गया था। जिसे बिना सुनवाई व सबूत के खारिज नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के नाम दर्ज होने व मौके पर कब्ज काश्त होने के आधार पर अपीलांट के अधिकार उत्पन्न हो चुके है। जिसे केवल मात्र एक प्रार्थना पत्र पर खारित नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट को बतौर अस्थाई आवंटन किया गया था। आवंटन पश्चात् से ही वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा काश्त चला

आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के नियमन का प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष जैरकार रहते हुए अदालत मातहत द्वारा नियम विरूद्व तरीके से आराजी जैर का आवंटन अपीलांट के पक्ष में बतौर कमीपूर्ति दिनांक 18—09—2017 को किया गया। उक्त आवंटन की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को होने पर अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अभिलिखित किया गया कि ग्राम नसूमां के खसरा नम्बर 34, 17, 4/2, 39/1, 39/2 की भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि है। जिस पर कब्जा काश्त निरन्तर चल आ रहा है। उक्त भूमि पूर्व में वाद में डिक्री किया जाकर रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज कर दिया गया मगर अपील न्यायालय के आदेश से पुनः रकबा राज दर्ज किया गया। प्रार्थी का निरन्तर कब्जा काश्त के आधार पर नियमन का प्रकरण सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष जैरकार था, जो रिकार्ड हस्तान्तरण से वर्तमान में अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है तथा आवंटन सलाहकार समिति की बैठक नहीं होने के कारण उक्त प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सकता। दौराने अवधि उक्त भूमि चकों में परिवर्तित होकर पानमल पुत्र धनराज को आवंटित कर दी गई है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किये जाने के फलस्वरूप व उक्त स्थिति अदालत मातहत के समक्ष स्पष्ट होने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नियम 21—ए का प्रार्थना पत्र जैरकार होने तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय शेष होने के कारण दौराने अवधि उक्त भूमि अन्य को आवंटन किया जाना न्यायोचित नहीं हैं अतः राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 21 के तहत अपीलांट को किया गया वादग्रस्त भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के अनुसरण में किया गया है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब भूमि एक बार आवंटित व नियमित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का किसी भी स्थिति में अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आक्यूपाईड लैण्ड होने के कारण शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। लिहाजा उक्त भूमि अपीलांट को किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से विधि सम्मत तरीके से पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को अस्थाई आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में बतौर कमीपूर्ति में दिनांक 18—09—2017 को किया गया था। उक्त आवंटन की जानकारी

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्राप्त होने पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया किया कि चूंकि उक्त भूमि बतौर अस्थाई आवंटन है तथा उनका नियमन का प्रार्थना पत्र जैरकार है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में नहीं किया जा सकता। उक्त प्रार्थना पर अदालत मातहत द्वारा समस्त तथ्यों की जानकारी व उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अमीर खॉ का नियम 21–ए आवंटन नियम, 1975 का प्रार्थना पत्र जैरकार है जिसमें आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया जाना है। ऐसीस्थिति में प्रकरण के पैण्डिग रहने के दौरान उक्त भूमि का आवंटन किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में जब यह स्थिति स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि थी तथा उनके नियमन का प्रार्थना पत्र जैरकार रहा है तब ऐसीस्थिति में अदालत मातहत को अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन से पूर्व ही इस तथ्य की भलीभांति जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या वादग्रस्त भूमि आवंटन हेतु शुद्व रूप से उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत इस तथ्य की जॉच किये बिना ही आराजी जैर का आवंटन अपीलांट के पक्ष में बतौर कमीपूर्ति किया गया है। उक्त आवंटन बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया है। लिहाजा अदालत मातहत द्वारा बिना आवंटन प्रकिया को अपनाये किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

प्रकरण में अपीलांट के इस तथ्य को स्वीकार भी कर लिया जावे कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नियमन का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जा चुका है तब भी उनके कथन से यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट को बतौर अस्थाई आवंटित भूमि थी। आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से प्रावधन निहित है कि एक बार भूमि आवंटित व नियमित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का किसी भी स्थिति में अन्य को आवंटन नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत मामलें में रेस्पोडेन्ट के नियमन का प्रार्थना पत्र जैरकार रहते हुए अदालत मातहत द्वारा बिना तथ्यों व रिकार्ड की जॉच किये वादग्रस्त भूमि का पूर्व में अपीलांट को आवंटन विधि विरूद्व तरीके से किया जाना परिलक्षित होता है। ऐसी स्थिति में उक्त स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सामने आने पर उनके द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि कारित नहीं की गई है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–07–2018 यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 21–01–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.14 14:22:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: